

प्रेषक,

श्री स्वामीजी गोतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन,
2/19, संत बिहार अंतारी रोड,
दीरगाबाद, नई दिल्ली ।

शिक्षा अनुभाग-17

लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 1989

विषय:- स्प्रिंगहेल स्कूल, पीलीभीत को अनापीत्त प्रमाण वा दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कठने का निदेश हुआ है कि स्प्रिंगहेल स्कूल, पीलीभीत को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन अनापीत्त नहीं है :-

क) सामान्य प्रतिबन्ध

- 1) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 2) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद/ क्षेत्रिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 3) संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4) संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएं प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षा तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 5) राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6) विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- 111 विद्यालय की प्रबन्धन समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- 122 विद्यालय में प्रत्येक छात्र व अनुभाग के लिए उपयुक्त आकार के कक्षा-कक्षा, दो वैकल्पिक विधाय कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- 133 कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायताप्राप्त आवासकीय उत्तम माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- 144 विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजीकाओं में रखा जायेगा।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भावदीय,

§ स्व०शु० गौतम §
संयुक्त सचिव।

संख्या- 32711/15-17-89-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, शिक्षण कार्यालय, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय उ० शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली।
- 3- प्रबन्धक, सिंगडेन स्कूल, पीलीभीत।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत।
- 5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

§ स्व०शु० गौतम §
संयुक्त सचिव।